ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

न. मु. 7/2017

1 स्व. जगमालसिंह पुत्र स्व. तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां
1/1 गोमद कंवर पत्नी स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां
2/1 पीरूसिंह पुत्र स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां
3/1 सरोज कंवर पुत्री स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां हाल पत्नी गिरधारीसिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपूत निवी टोडास तह. नावां नागौर

............वादी

बनाम

1 भंवरसिंह
2 मानसिंह
3 करणीसिंह
4 किशोरसिंह
5 कल्याणसिंह
6 नेमसिंह

पुत्रगण स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भौम ईंयारा

7 कालूसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
8 नत्थूसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
9 अर्जूनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
10 प्रभूसिंह पुत्र स्व. समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
11 नरपतसिंह पुत्र स्व. समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर चूरू
12 गुलाब कंवर पुत्री स्व. समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर चूरू
13 जोगाराम पुत्र लाभूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाजाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली
14 मोटाराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
15 गिरधारीसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
16 अनोप कंवर धर्मपत्नी स्व. कानसिंह जाति राजपूत निवासी भौम ईंयारा तह. बीदासर चूरू
17 प्रेमसिंह पुत्र स्व. कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
18 खेतूसिंह पुत्र स्व. कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
19 कुशालसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
20 धन्नेसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
21 लिछमणसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
22 किशोर कंवर धर्मपत्नी स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर
23 भंवरसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

24 श्रवणसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

25 हेमसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

26 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

27 मंगेजसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

28 मदनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू,

29 फूलसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

30 मेघसिंह पुत्र धुकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

31 मालसिंह पुत्र धुकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू,

32 जीव कंवर बेवाह धुकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

33 भंवरसिंह पुत्र मालकंवर (पुत्री रतन कंवर) पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बल्डवा तहसील डीडवाना जिला नागौर

34 भैरूसिंह पुत्र मालकंवर (पुत्री रतन कंवर) पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बल्डवा तहसील डीडवाना जिला नागौर

35 खींवसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

36 बिरजु कंवर धर्मपत्नी स्व. गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर चूरू

37 सुल्तानसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

38 सन्तोंष कंवर पुत्री स्व. गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

39 अन्तर कंवर पुत्री स्व. गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

40 रेखा कंवर धर्मपत्नी स्व. नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर चूरू

41 दौलतसिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भौम ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू

42 बेगाराम पुत्र गुलाराम जाति केवटिया जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू

43 शाखा प्रबन्धक S.B.B.J. शाखा बीदासर

44 शाखा प्रबन्धक C.B.I. शाखा सुजानगढ़

45 शाखा प्रबन्धक B.O.B. शाखा ईंयारा

46 शाखा प्रबन्धक P.N.B. शाखा सुजानगढ़

47 शाखा प्रबन्धक चूरू जिला सहकारी भूमि विकास लिमिटेड चूरू

48 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

49 श्रीमान उप पंजीयक बीदासर, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.......3 पर

Scanned by CamScanner

4/1 माया कंवर पुत्री स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां हाल पत्नी सुरजनसिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपूत निवी टोडास तह. नावां नागौर

5/1 धापू कंवर पुत्री स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां हाल पत्नी श्री भंवरसिंह वल्द मांगूसिंह राजपूत निवासी बरड़वा डीडवाना नागौर

6/1 संतोष कंवर पुत्री स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ईयारां हाल पत्नी श्री महेन्द्रसिंह वल्द मांगूसिंह राजपूत निवासी बरड़वा डीडवाना नागौर

गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –

1 श्री मोहम्मद शाहिद वकील वास्ते वादीगण
2 श्री आमीन शेख प्रतिवादी स. 17,16, 17, 19 ता 29
3 श्री विनोद कुमार शर्मा प्रतिवादी स. 45
4 पैरोक़ार राज.

निर्णय

दिनांक :–22–03–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग के खेत खाता नम्बर 25 खेत खसरा नम्बर 3 तादादी 10–06 बीघा, 4 रकबा 8–15 बीघा, 5 रकबा 23–00 बीघा, 20 रकबा 54–15 बीघा, 23 डेरी रकबा 52–00 बीघा, 24 रकबा 22–10 बीघा, 25 रकबा 55–05 बीघा, 30 रकबा 75–15 बीघा, 36 भूरजी वाला रकबा 42–03 बीघा, 38 रकबा 39–05 बीघा, 39 रकबा 32–07 बीघा कुल खसराजात 11 कुल रकबा 416–01 बीघा वाके रोही भौम ईंयारा **तथा** खेत खाता नम्बर 2 खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 27 बीघा 17 बिश्वा, 55 रकबा 27 बीघा 12 बिश्वा, 64 रकबा 12 बीघा 10 बिश्वा, 67 रकबा 5 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 72 बीघा 19 बिश्वा रोही भौम ईयांरा **तथा** खेत खाता नम्बर 24 खसरा नम्बर 21 रकबा 57 बीघा 15 बिश्वा वाके रोही भौम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खाता नम्बर 25 में वादी का 3/64 हिस्सा, खाता नम्बर 2 में वादी का 3/16 हिस्सा, खाता नम्बर 24 में वादी का 71/1344 हिस्सा है। उपरोक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है उपरोक्त विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 एक 12 बारह व 15 पन्द्रह ता 41 ईक्तालीस के पूर्वजो की सम्पति रही है खातेदारी हिस्सापांती अनुसार तीनो खातों में वादी की उपरोक्तानुसार हिस्सा पांती की है आपसी जुबानी भाई बन्टवारा के मुताबिक काफी वर्षो पूर्व से पूर्वजों के द्वारा आपस में मौखिक विभाजन कर उपरोक्त आराजीयात में वादी के हिस्सा पांती मुताबिक खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 12 बीघा 10 बिश्वा, व खसरा

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

नम्बर 67 रकबा 5 बीघा (दोनो खसरे सम्पूर्ण) तथा खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 27 बीघा 17 बिश्वा व खसरा नम्बर 55 रकबा 27 बीघा 12 बिश्वा दोनो खसरों में से दिखणादी तरफ की बाकी हिस्सा भूमि वादी के हिस्सा पांती में की हुई है और वादी व अन्य प्रतिवादीयान् ने पूर्वजों के वक्त से किये गये हिस्सा पांती अनुसार अपने अपने हिस्सा मुताबिक सींवें कायम कर रखी है हिस्सा पांती अनुसार वर्षो से पुख्ता पक्की सीवें तारबन्दीयां, पृथक पृथक ढ़ाणीया बनाई हुई है जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण बारहमासी और फसली मौसम में निवास करते है वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 बैयालीस का खान पान लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है परन्तु वादगत खेतो की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित रहने से वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में एवं राजस्व लगान चुकाने में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय में वाद पेश कर विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक अंकित करवा कर लगान का विभाजन करावें। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 10–12–2016 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि पर जहां चाहेगे वहां जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 42 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने

लगातार.....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेतो का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बेदखल करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 15, 16, 17 व 19 ता 29 की और से श्री आमीन शेख एडवोकेट ने वकालतनामा के साथ एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 14/09/2017 को निरस्त कर जवाबदेही कायम करने का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण 15, 16, 17 व 19 ता 29 की और से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत। दौराने दावा वादी जगमालसिंह का स्वर्गवास होने पर वादी के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 प्रस्तुत किया गया जो वकील प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाने के उपरान्त संशोधित वाद शिर्षक प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी स. 45 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत। प्रतिवादी सख्या 1 ता 14, 18, व प्रति स. 30 ता 42 की रजिस्ट्रर्ड डाक से विधिवत तामील के माकूल वक्त गुजरने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 48 तहसीलदार बीदासर की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। वादी की और से वादी स्वयं ने अपनी साक्ष्य में पी. डब्ल्यू–1 सशपथ बयान प्रस्तुत कर अपने वाद में समर्थन में दस्तावेज नक्शा एक्स खसरा नम्बर 3, 4, 5, 20, 23, 24, 25, 30, 36, 38, 39 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सवंत 2069–2072 खाता नम्बर 25 प्रदर्श–2, नक्शा खसरा नम्बर 21 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता नम्बर 24 प्रदर्श–4, नक्शा एक्स खसरा नम्बर 13, 55, 64, 67 प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2069–2072 खेत खसरा नम्बर 13, 55, 64, 67 प्रदर्श–6, वर्तमान जमाबन्दी 2073–2076 खेत खाता नम्बर 2 प्रदर्श–7, जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता नम्बर 22 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता नम्बर 23 प्रदर्श–9 प्रदर्शित करवाये। वादी ने और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सख्या 24 श्रवणसिंह ने नोटेरी से तस्दीक शुदा सशपथ बयान प्रस्तुत किये। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण 15, 16, 17 व 19 ता 29 की और से दावा का समर्थन करते हूए इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी हिस्सा पांती की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के विभाजन करने का निवेदन किया है। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किया गया।

लंगातार.....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण 1/1 ता 3/1 व गौण प्रतिवादीगण 4/1 ता 6/1 के पक्ष में दिनांक 17/12/2021 को प्रारम्भिक डिक्री का आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार बीदासर को विभाजन प्रस्ताव हेतू अलग से तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया, वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय तीनों खातों की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–2076 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने विचारण प्रकरण के मूल वादी जगमालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनका वादगत खसराजात के खाता नम्बर 22 व 23 में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज होकर मूल वादी जगमालसिंह के वारिसान रेकार्डेड खातेदार दर्ज है खाता नम्बर 2 में मूल वादी जगमालसिंह का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसका विरास्तन दर्ज किया जावे तथा वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी सख्या 8 नत्थूसिंह ने जरिये शुद्धि पत्र अपना नाम नत्थूसिंह की बजाय रतनसिंह दर्ज करवा लिया है। प्रतिवादी स. 24 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादपत्र के हमराह प्रस्तुत जामबन्दी में प्रतिवादी स. 23, 24, 25, 26, 27, 28 के पिता का नाम विजयसिंह सही दर्ज है लेकिन जमाबन्दी सवंत 2073–2076 में पिता का नाम विजयसिंह की बजाय धुकलसिंह दर्ज है प्रतिवादी स. 30 मेघसिंह, 31 मालसिंह पुत्रगण स्व. धुकलसिंह पूर्व जमाबन्दी संवत् 2069–2072 एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–76 अनुसार रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी स. 23 ता 28 के पिता का नाम स्व. विजयसिंह दर्ज किया जाये। प्रतिवादी स. 23 ता 28 के पिता का नाम धूंकलसिंह की बजाय स्व. विजयसिंह दर्ज किया जाये, साथ ही निवेदन किया दावा दायरी के वक्त खशरा नम्बर 3, 4, 5, 20, 23, 24, 25, 30, 36, 38, 39 व 21 की खातेदारी में गुमानसिंह वल्द सुरजनसिंह 1/36 हिस्सा के खातेदार थे जिनके वारिसान को प्रतिवादी स. 36 ता 41 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है प्रतिवादी स. 36, 38, 39 द्वारा अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स. 37 के पक्ष में परित्याग किया जा चुका है प्रतिवादी स. 40, 41 के विरासत का हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी स. 41 का नाम दौलत की बजाय दौलतसिंह शुद्ध किया जाये। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को सुना जाकर स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया।

आदेश

बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री आदेश से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, मौका का नजरी नक्शा, वादी एवं

लगातार.....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का परिशीलन एवं उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया जिनके आधार पर आदेश दिया जाता है कि रोही भौम ईयांरा के खाता नम्बर 2 में मूल वादी जगमालसिंह का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज किया जावे, दावा के प्रतिवादी स. 8 नत्थूसिंह को रतनसिंह समझा जाये, प्रतिवादी स. 23 ता 28 के पिता का नाम धूंकलसिंह की बजाय स्व. विजयसिंह शुद्ध दर्ज किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा के पृथक पृथक दर्ज करने बाबत तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २२ –03–2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner